न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 155/2024

अनवान : –

1. संजय पुत्र लालाराम जाति जाट निवासी धानसिया तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. अलपना पत्नी अमित गोदारा जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
2. लालाराम पुत्र रतिराम जाति जाट निवासी धानसिया तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

4. ज्योति पुत्री लालाराम जाति जाट निवासी धानसिया तहसील नोहर।

– तरतीबी गैरसायला

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **सायल**
2. श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांक: 10/9/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता स0 558/557 की कुल 9.1080 हैक्ट भूमि में से 5/18 हिस्सा भूमि लालाराम पुत्र रतीराम के नाम दर्ज थी।

उक्त वाद भूमि सायल की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जो की अप्रार्थी स0 2 के नाम हिन्दु मुश्तरका खानदान का कर्ता होने से अकेले के नाम अनुचित तौर से दर्ज करवा ली। उक्त विवादित भूमि में सायल व तरतीबी गैरसायल संख्या 4 का गैरसायल स0 2 के साथ बहिब के खातेदार काश्तकार थे। रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता स0 231 के ख0न0 696 की 17 बीघा 9 बिस्वा भूमि ख0न0 698 की 18 बीघा 11 बिस्वा भूमि कुल 36 बीघा भूमि के लालाराम के पिता रतीराम खातेदार काश्तकार थे। अर्थात वाद भूमि हिन्दु मुश्तरका खानदान की जददी जायदाद है। जिसमें गैरसायल संख्या 2 के साथ सायल व तरतीबी अप्रार्थी स0 4 का भी जन्मजात हक हिस्सा है। अप्रार्थी स0 2 के नाम दर्ज हुई 2.53 हैक्ट भूमि में सायल व तरतीबी गैरसायल स0 4 व गैरसायल स0 2 बहिब के खातेदार काश्तकार थे। गैरसायल स0 2 ने उपरोक्त 2.53 हैक्ट समस्त भूमि जो की पैतृक भूमि थी को गैरसायल स0 1 को अनुचित तौर से बैय कर दी जबकि सायल उक्त भूमि में 0.84333 हैक्ट भूमि का खातेदार काश्तकार था। बैयनामा दिनांक 17.10.2023 गैरसायल स0 1 के [illegible] करवाया गया है वो सायल व तरतीबी गैरसायल स0 4 की भूमि 1.68666 हैक्ट भूमि [illegible] से अधिक का करवाया है। गैरसायल स0 1 को बैय भूमि का कब्जा आज भी [illegible] सायल व तरतीबी गैरसायल स0 4 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.24 17:32:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पास है तथा गैरसायल स0 1 अपने पक्ष में बैयनामा होने की आड में सायल व तरतीबी गैरसायल स0 4 को उनको हिस्सा 1.68666 हैक्ट भूमि से गैरसायल स0 1 बेदखल करने पर व अन्यत्र रहन ,बैय करने पर आमादा है। वाद भूमि हिन्दु मुश्तरका खानदान की जददी जायदाद है गैरसायल स0 2 ने सायल व तरतीबी गैरसायल स0 4 के हक व हिस्से की भूमि का अनुचित बैचान किया है जो सायल व तरतीबी गैरसायल स0 4 के हक व हकुक के मुकाबले शुन्य है यिद गैरसायल स0 1 अपने मकसद में कामयाब हो जाती है तो सायल अपने हक व हकूक से महरूम हो जाते है एवं प्रार्थी का अपूर्णीय क्षति होंगी इसलिए सायल गैरसायल स0 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवाने का मजाज है कि वाद भूमि का अन्यत्र रहन, बैय व मुन्तकिल करने से निषिद्ध रहे उपरोक्त आशयों की सायल घोषणा करवा पाने के अधिकारी है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला दावा गैरसायलान के खिलाफ इस अमर की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे की रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता स0 558/557 के ख0न0 696 की 4.4149 हैक्ट भूमि ख0न0 698 की 4.6931 हैक्ट भूमि कुल 9.1080 हैक्ट भूमि में गैरसायल स0 1 सायल व तरतीबी गैरसायल स0 4 के हिस्से की भूमि 1.68666 हैक्ट भूमि में मदाखलत बैजा न करे रहन, बैय न करे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता स0 558/557 की कुल 9.1080 हैक्ट भूमि में से 1.68666 हैक्ट भूमि की अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 उक्त वाद भूमि को रहन, बैय न करे।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 की तरफ से अधिवक्ता श्री मांगेराम बैनीवाल बैनीवाल न प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए इकबाल प्रार्थना पत्र पेश किया एवं अप्रार्थी स0 1 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की उत्तरदाता ने वाद भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 17.10.2023 को समस्त प्रतिफल राशि देकर खरीद की है एवं उसी समय से उत्तरदाता के कब्जा काश्त में चली आ रही है। उत्तरदाता रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एवं रिकार्डेड खातेदार के खिलाफ किसी भी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। वाद भूमि खरीद के समय लालराम के दो भाईयों करणीसिंह व रामप्रताप जो की संयुक्त खाता में खातेदार दर्ज थे ने सहमति पत्र उत्तरदाता को कब्जे बाबत दिया था। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रजि0 बैयानामा की चित्रप्रति [illegible] भूमि का बेचान अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी स0 1 को किया गया है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी भू प्रबन्ध विभाग सम्वत

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.24 17:32:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

2029 ता 2038 के अनुसार उक्त विवादित भूमि पूर्व में रतिराम पुत्र जोराराम के नाम दर्ज थी। रतिराम पुत्र जोराराम से लालाराम यानि की अप्रार्थी स0 2 के नाम दर्ज हुई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक है। अधिवक्ता अप्रार्थी स0 1 का कथन है कि उक्त वाद भूमि जरिये बैयनामा अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज हुई है जिसमें प्रार्थी का कोई हक हिस्सा नही है अप्रार्थी के उक्त कथन मूल वाद में तय होने है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अप्रार्थी संख्या 1 अगर वाद भूमि को रहन, बैय करता है तो अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को होगी क्योंकि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि का प्रार्थी के पिता यानि की अप्रार्थी स0 2 द्वारा समस्त भूमि का अप्रार्थी स0 1 को बेचान किया गया है, जो की पूर्व में प्रार्थी के दादा रतिराम के नाम दर्ज थी। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है। जब प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी स0 1 ता 2 इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता स0 558/557 की कुल 9.1080 हैक्ट भूमि में से 1.68666 हैक्ट भूमि को न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि रहन, बैय न करे। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 10/9/2024 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.24 17:32:08 IST
Reason: SelfAttested